न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 126/2019 तारीख रजू:– 17.10.2019

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

हरीराम पुत्र रामकिशन जाति मीना निवासी करीरी तहसील टोडाभीम।

(वादी)

बनाम

1. रामकेश पुत्र बत्तू
2. बिरमा पुत्री बत्तू
3. रामसिंह पुत्र किशोरी
4. विश्राम पुत्र बत्तू
5. धनपाल पुत्र किशोरी
6. राधेश्याम पुत्र सूरजमल
7. लल्लू पुत्र जौहरो
8. जगमोहन दत्तक पुत्र रामधन
   समस्त जातियान मीना निवासी करीरी तहसील टोडाभीम।
9. तहसीलदार टोडाभीम।
10. मैनेजर बैक ऑफ बडौदा शाखा करीरी।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत तकास्मा

उपस्थिति:– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (वादी)
श्री राधा रमण शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी 1, 2, 4, 6

निर्णय दिनांक:– 05.08.2021

वादी ने जरिये वकील वादपत्र इस प्रकार पेश किया कि ग्राम चकगाजीपुर की आराजी ख0न0 471/0.05, 472/0.09, 473/0.05, 474/0.10 कुल किता 4 कुल रकवा 0.29 है0 मे वादी बहिस्सा 1/6, प्रतिवादी न0 1,2,4, बहिस्सा 1/36 प्रत्येक प्रतिवादी, प्रतिवादी न0 7 बहिस्सा 1/12, प्रतिवादी न0 3,5,6,8, प्रत्येक बहिस्सा 1/6 के काश्तकार है। मुताबिक हिस्सा, कब्जा तकास्मा कराया जावे। मुकदमे मे वादी एवं प्रतिवादीगण 1, 2, 4, 6 ने राजीनामा प्रस्तुत किया कि मुताबिक हिस्सा व कब्जानुसार दावा प्राथमिक डिकी कर दिया जावे। वकील उभयपक्ष की बहस सुनकर एवं पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो एंव राजीनामा का अवलोकन करने पर समस्त खातेदारान का अलग–अलग खाता कायम कराने हेतु उचित पाने से दावा दिनांक 08.07.2021 को दावा प्राथमिक डिकी कर तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया गया।

तहसीलदार टोडाभीम की ओर से प्रस्तुत बटवारा स्कीम का वकील उभयपक्ष ने अवलोकन कर मुताविक बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिकी करने का कथन किया। बटवारा स्कीम मे अंकन किया गया है कि खातेदार घनपाल पुत्र किशोरी फौत हो चुका है। उसके वारिस चेतराम, शिवलाल, हेमराज पि0 घनपाल एवं भरती पुत्री धनपाल है। वकील उभयपक्षकारान ने भी इस अंकन को स्वीकार किया। बटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिकी किया जाता है।

वादी हरीराम पुत्र रामकिशन जाति मीना निवासी करीरी को ग्राम चकगाजीपुर की आराजी ख0न0 471/0.05 है0 का, प्रतिवादी राधेश्याम पुत्र सूरजमल जाति मीना निवासी करीरी को चकगाजीपुर की आराजी ख0न0 472/0.05 है0 का, प्रतिवादी रामसिंह पुत्र किशोरी जाति मीना निवासी करीरी को चकगाजीपुर की आराजी ख0न0 472/1/0.04 है0 का, प्रतिवादी लल्लू पुत्र जौहरी जाति मीना

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला–करौली

नकल नक्शा ट्रेस
मौजा - फकरुगाजीपुर
तह० - खण्डार
जिला - सवाई माधोपुर
सम्वत - २०७३
पैमाना - १ से.मी. = ४० मी

तहसीलदार (भू०अभि०)
...डामीन, जिला-करौली

समयसिंह मीना
ग्राम पटवारी ...
तह० ... जिला-करौली

सी करीरी को चकगाजीपुर की आराजी ख0न0 473/1/0.0250 है0 का, प्रतिवादी राधेश्याम सूरजमल जाति मीना निवासी करीरी को चकगाजीपुर की आराजी ख0न0 472/0.05 है का, वादी विश्राम, रामकेश पि0 बत्तू, बिरमा पुत्री बत्तू हि.ब. जाति मीना निवासी करीरी को गाजीपुर की आराजी ख0न0 473/0.0250 है का, प्रतिवादी जगमोहन दत्तक पुत्र रामधन हिस्सा 2 बिला रहन, धनपाल पुत्र किशोरी (मृतक) के वारिसान चेतराम, शिवलाल, हेमराज पि0 धनपाल, ो पुत्री धनपाल हिस्सा 1/2 हि.ब. जाति मीना निवासी करीरी को चकगाजीपुर की आराजी न0 474/0.10 है का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बैक रहन का अंकन पूर्वानुसार दारान के नाम बदस्तूर रहेगा। नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ सलग्न रहेगा। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

05/8/21

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम जिला करौली